भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *412

उत्तर देने की तारीख 31.03.2022

सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में रोजगार के अवसर

***412.** श्री पी. वेलुसामी:

श्री के.षणमुग सुंदरम:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रोज़गार के और अधिक अवसर सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र हेतु धनराशि का आबंटन बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु अनुकूल माहौल बनाने तथा और अधिक संख्या में कामगार नियोजित करने हेतु इन उद्यमों के कामगारों की कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की धनराशि वहन करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.03.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *412 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) एमएसएमई मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से **प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** का कार्यान्वयन कर रहा है, जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार सृजन के अवसरों के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों के लिए, जैसे एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि में ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. है। स्कीम की शुरूआत से दिनांक 15.03.2022 तक, 18765.57 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के उपयोग से लगभग 7.73 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की सहायता की गई है और 63.42 लाख व्यक्तियों के लिए रोज़गार अवसर सृजित किए गए हैं।

मंत्रालय **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)** का भी कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना और उन्हें उन्नत उपकरणों, कच्चा माल के प्रापण, सामान्य सुविधा केंद्रों के निर्माण, प्रशिक्षण, डिज़ाइन और विपणन सहायता आदि में सहायता के साथ सतत रोज़गार प्रदान करना है। वर्ष 2014 से अब तक, भारत सरकार वचनबद्धता से लगभग 1295 करोड़ रु. से 498 क्लस्टरों का अनुमोदन किया गया है और लगभग 2.87 लाख कारीगरों को लाभ पहुंचा है।

इसके अलावा, केवीआईसी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्व-रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए निम्न कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन कर रहा है:

i. **हनी मिशन:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मधुमक्खी बक्सों सहित मधुमक्खी कॉलोनियों, टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं ताकि मधुमक्खी पालकों के रूप में किसानों, आदिवासियों और ग्रामीण युवाओं की आय में वृद्धि की जा सके। वर्ष 2017-18 में स्कीम की शुरुआत से, 98.19 करोड़ रु. की लागत से 159659 मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया गया है और लगभग 16085 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।
ii. **कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण कुम्हारों को प्रशिक्षण सहित इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील, ब्लंगर आदि जैसे नवीन ऊर्जा दक्ष उपकरण प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में स्कीम की शुरुआत से, 51.96 करोड़ रु. की कुल लागत से 23340 इलेक्ट्रिक पॉटरी का वितरण किया गया है और लगभग 93360 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए निधियों का आबंटन (संशोधित अनुमान) निम्नलिखित है:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22***
1	पीएमईजीपी	2118.80	2464.44	2159.49	2500.00
2	हनी मिशन	-	15.00	11.07	10.78
3	कुम्हार सशक्तिकरण	16.00	17.00	18.61	7.49
4	स्फूर्ति	86.15	185.00	350.00	402.02

*24.03.2022 तक

(ग) और (घ) उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान निम्नलिखित हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	2021-22	2022-23
1	पीएमईजीपी	2000.00	2500.00
2	हनी मिशन	5.78	8.78
3	कुम्हार सशक्तिकरण	6.02	11.90
4	स्फूर्ति	170.00	334.00

(ङ) और (च) ईएसआई में शामिल कर्मचारियों द्वारा देय मासिक कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अंशदान वेतन का 4% है जिसमें 0.75% कर्मचारी का अंशदान और 3.25% नियोक्ता के अंशदान के रूप में है। सरकार द्वारा एमएसएमई श्रमिकों के संबंध में ईएसआईसी अंशदान को वहन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952, के अंतर्गत शामिल किए गए किसी भी प्रतिष्ठान में 15,000 रु. तक के मासिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए इस निधि में शामिल होना और वेतन का 12% अंशदान करना सांविधिक रुप से अपेक्षित है, इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेंनिंग भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है। नियोक्ता के लिए भी वेतन के 12% का अंशदान देना अपेक्षित है। सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए 1000 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंशदान (वेतन का 24%) और 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में केवल कर्मचारी ईपीएफ अंशदान (वेतन का 12%) का भुगतान किए जाने के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (एबीआरवाई) का शुभारंभ किया है। इस स्कीम को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है।

****